न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 915/13 निर्णय दिनांक :– 3/6/2019

श्रीनारायण

विरूद्ध

रूपनारायण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

प्रार्थी – प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :–

उक्त उनवानी प्रकरण मान्य न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है। प्रकरण में वादी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ और बिना वाद कारण उत्पन्न हुए बिना ही उक्त वाद मिथ्या आधार पर प्रस्तुत कर दिया वादी ने अपने वाद पत्र का मुख्य आधार यह रहा कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 39, 42, 43, 44, 46 व 64 जिसके हाल खसरा नम्बर 72, 74 से 77, 85, 86 88/1, 88/2, 89 91 से 98, 109 व 20, 21 थे जो कि उक्त भूमि पूर्व में सम्वत 2008 से 2023 में उक्त भूमि वादीगण के दादा घासी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही इस प्रकार उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जबकि वास्तविकता तो यह है कि वादी ने [illegible] दस्तावेजों को पढा ना ही कभी भी राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी [illegible] उक्त घासी के नाम कही भी दर्ज नही रही सम्वत 2008 से 202[illegible] की जमाबन्दी में कहीं भी वादी

का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही था, ना ही है जबकि वास्तविकता तो यह है कि उक्त भूमि मिन प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है जिसके संबंध में वादीगण का किसी प्रकार का कोई हित व संबंध नही है। वादीगण के पिता अन्नतराम द्वारा पूर्व में मिन प्रतिवादीगण के खिलाफ एक वादग्रस्त आराजी के संबंध में घोषणा का प्रस्तुत किया था तथा उक्त वाद में वादीगण के पिता द्वारा यह कथन कहे कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण के पिता रामलाल द्वारा सेटलमेंट खुद के नाम ही कर्ताखानदान होने के कारण स्वयं के नाम लगवा ली इस प्रकार वादीगण के पिता द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय उक्त वाद खारिज हो चुका था इस प्रकार चूंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में ही वादीगण का वाद खारिज हो चुका था ऐसी स्थिति में वादी को अब किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है वादीगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद अन्नतराम बनाम रूपनारायण में वादग्रस्त सम्पत्ति एवं प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति समान है ऐसी स्थिति में जब पूर्व में ही वादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में अब वादीगण का भी वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही रहा है ना ही वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है वादीगण ने माननीय न्यायाल को मुगालते में रखते हुए मिथ्या आधारों पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रस्तुत वाद के तथ्य एवं पूर्व में प्रस्तुत अन्नतराम बनाम रूपनारायण में अलग–अलग तथ्य कहे है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद किसी भी प्रकार से [illegible] नही है वादग्रस्त आराजी कभी भी वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही रही अगर ऐसा होता तो वादीगण के पिता अन्नतराम द्वारा प्रस्तुत पूर्व के वाद

में इस बात का उल्लेख किया जाता परन्तु उक्त वाद में ऐसा कोई तथ्य नही है ना ही पैतृक भूमि है इस प्रकार वादीगण को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही होता है वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी द्वारा पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी को दी गयी तो वकील वादी दिनांक 12.03.2019 से बार–बार जवाब पेश करने हेतु अवसर देने पर भी जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करना चाहे जाने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के द्वारा घासी के नाम कही भी दर्ज नही रही सम्वत 2008 से 2053 की जमाबन्दी में कही भी वाद का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही था उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में है। वादीगण के पिता अन्नतराम द्वारा भी प्रतिवादीगण के खिलाफ एक वाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा का पेश किया था उक्त वाद न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जा चुका है। जब वादग्रस्त आराजी का वाद पूर्व में ही खारिज किया जा चुका है। जब वादग्रस्त आराजी का वाद पूर्व में ही खारिज हो चुका तो वादी को अब किसी प्रकार का वादकारण उत्पन्न नही होता। वादी द्वारा पूर्व वाद अन्नतराम बनाम रूपनारायण में वादग्रस्त सम्पत्ति एवं प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति समान है। वादीगण का वाद किसी भी प्रकार से मेंटीलेबल नही है। वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाया जावे। जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:13:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस में वादी वकील ने प्रतिवादी वकील की बहस का खंडन करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 के पेश करने का कोई आधार नही है वादीगण अपने दादा के समय से ही उनकी 1/2 हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। दावे में जवाब दावा पेश किये हाने पर तनकी कायम की जा चुकी है साक्ष्य सबूत ली जाकर दोव का गुणा व गुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का दावे को लम्बा चलाने की गरज से पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 39, 42, 43, 44, 46, व 64 जिसके हाल खसरा नम्बर 72, 74 से 77, 85, 86, 88/1, 88/2, 89, 91 से 98, 109 व 20, 21 की भूमि सम्वत 2008 से 2073 में वादीगण के दादा घासी क नाम नही रही न ही राजस्व रिकार्ड में अंकित है उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि रही है इस बाबत पूर्व में वादीगण के पिता अन्नतराम के द्वारा एक वाद अन्नतराम बनाम रूपनारायण मु0 न0 176/82 का किया गया था जो दिनांक 27.7.74 को खारिज किया जा चुका उक्त वाद व पूर्व में वादग्रस्त भूमि व पक्ष समान है। वादी को अब किसी प्रकार का वादगण उत्पन्न नही हुआ। जब वादीगण का पूर्व वाद खारिज हो चुका ऐसी स्थिति में अब वादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है न ही वादीगण को कोइ वादकरण उत्पन्न हुआ। प्रस्तुत वाद [illegible] एवं पूर्व वाद अन्नतराम बनाम रूपनारायण में अलग-अलग तथ्य अंकित किये गये है। वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने व वादीगण को वादकरण पैदा नही होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कवर होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार

किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का स्वीकार होने से दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली बात तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
7.6-17
चाकसू